E-mail

राजस्थान सरकार
राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

क्रमांकः राम/भू.अ./एल.आर.सी./प–88/पार्ट–11/07/ 11255-87 दिनांक 22-6-10

जिला कलक्टर
समस्त (राजस्थान)

विषय :– साइबर कैफे के माध्यम से जमाबन्दियों की प्रतियां जारी करना व नवीनीकरण

प्रसंग :– सचिव, सूचना एवं प्रोद्यौगिकी विभाग, जयपुर का पत्रांक एफ. 5 (373) /DoIT/ Tech-06/223 दिनांक 31.05.2010

महोदय,

उपरोक्त विषय में मण्डल के पत्रांकः राम/ भू.अ./ एल.आर.सी./ प–88/ पार्ट–II/ 07/ 20–52 दिनांक 07.01.2010 से पूर्व निर्देशों के अतिक्रमण में साईबर कैफे के लाईसेन्स जारी करने, नवीनीकरण हेतु दिशा निर्देश प्रसारित किये गये थे ।

उल्लेखनीय है कि सचिव, सूचना एवं प्रोद्यौगिकी विभाग, जयपुर ने पत्र दिनांक 31.05. 2010 से CSC's योजना से साईबर कैफे धारकों को जोड़ने हेतु लाइसेन्स जारी करने संबंधी प्रावधानों में संशोधन चाहा गया है, जिसके अनुसार अपेक्षा की गई है कि साईबर कैफे से अभिलेख की प्रतिलिपि जारी करने हेतु लाईसेन्स प्राप्ति के आवेदन हेतु अन्तिम तारीख निश्चित की जाती है, जिससे समय पर आवेदन प्रस्तुत नहीं होने पर CSC's योजना में साइबर कैफे लाइसेन्स प्राप्त करने से व्यक्ति वंचित रह जाते है । अतः इस प्रावधान को शिथिल कर वर्ष में कभी भी साइबर कैफे लाईसेन्स हेतु आवेदन किया जाने का प्रावधान किया जावें :–

मण्डल स्तर पर इस संबंध में विचार किया गया । मण्डल के पूर्व पत्रांकः राम/ भू.अ./ एल.आर.सी./ प–88/ पार्ट–II/ 07/ 20–52 दिनांक 07.01.2010 से साईबर कैफे हेतु जारी किये गये निर्देशों में निम्न संशोधन किया जाता है :–

बिन्दु संख्या – 1 :– नये लाईसेन्स जारी करने हेतु राजस्थान के प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों में इसकी विज्ञप्ति जारी की जावें । विज्ञापन का संशोधित प्रारूप संलग्न है । इसमें आवश्यकतानुसार भविष्य में संशोधन किया जा सकेगा ।

बिन्दु संख्या – 2 :– आवेदक को वित्तीय वर्ष के अनुसार लाईसेन्स वर्ष में कभी भी जारी किया जा सकेगा, किन्तु उक्त लाईसेन्स वित्तीय वर्ष की शेष अवधि के लिये ही होगा एवं अग्रिम वित्तीय वर्ष हेतु वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पूर्व लाईसेन्स का नवीनीकरण करवाना होगा ।

उपरोक्त बिन्दुओं के अतिरिक्त मण्डल के पत्रांकः राम/ भू.अ./ एल.आर.सी./ प–88/ पार्ट–II/ 07/ 20–52 दिनांक 07.01.2010 से प्रसारित शेष निर्देश/शर्ते पूर्ववत रहेगी ।

भवदीय

निबन्धक
राजस्व मण्डल राजस्थान
अजमेर

क्रमांकः सम/ 11288 – 11300 दिनांक 22-6-10

प्रतिलिपि :–

1. निजी सचिव, माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर ।
2. संभागीय आयुक्त, समस्त ।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, तिलक मार्ग, योजना भवन, जयपुर ।
4. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक एवं राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, राजस्थान राज्य ईकाई, कमरा नम्बर 318, उत्तर पश्चिम खण्ड, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर ।
5. जिला कलक्टर (भू.अ.), समस्त ।
6. ए.सी.पी., राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर ।
7. जिला कलक्टर (भू.अ.), उदयपुर को उनके पत्रांक 2046 दिनांक 18.05.2010, जिला कलक्टर, नागौर को उनके पत्रांक 2640 दिनांक 17.05.2010 के क्रम में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।

उप–निबन्धक (भू.अ.)
राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलेक्टर (भू.अ.)——————

क्रमांकः —————————————— दिनांक / /

## विज्ञप्ति

### जमाबन्दी से नकले जारी करने हेतु साईबर कैफे को लाईसेन्स

राजस्थान के समस्त कृषि भूमि के स्वामित्व का (रिकार्ड ऑफ राईटस) जमाबन्दी के रूप में कम्प्यूटर पर उपलब्ध है। निजि क्षेत्र में कार्यरत साईबर कैफे को जमाबन्दी से नकले जारी करने हेतु लाईसेन्स देकर अधिकृत करना प्रस्तावित है ।

लाईसेन्स फीस 200/– (सभी क्षेत्रों के लिये) तथा नवीनीकरण शुल्क 100/– रूपयें होगा । साईबर कैफे नकल देने की फीस 20/– रूपये प्रति पृष्ठ लेने हेतु अधिकृत होगा ।

सतोषप्रद कार्य पाये जाने पर लाईसेन्स प्रतिवर्ष नवीनीकृत किया जा सकेगा । नवीनीकरण की फीस जिला कलेक्टर द्वारा निर्धारित की जावेगी ।

***इच्छुक साईबर कैफे निम्न प्रारूप में प्रार्थना–पत्र भेज सकते है ।*** प्रार्थना–पत्र के साथ एक वर्ष की लाईसेन्स फीस बैंक ड्राफ्ट के द्वारा भेजनी होगी । बैंक ड्राफ्ट जिला कलेक्टर (भू.अ.)—————— के नाम से भिजवाये जावें ।

आवेदन पत्र जिला कलेक्टर (भू.अ.)——————कार्यालय में वित्तीय वर्ष में कभी भी स्वीकार किये जावेंगे । जिन आवेदकों ने पूर्व में आवेदन किया था उन्हें पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं हैं। लाइसेंस वित्तीय वर्ष की शेष रही अवधि के लिये ही मान्य होगा तथा अग्रिम वित्तीय वर्ष हेतु चालू वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पूर्व लाईसेन्स का नवीनीकरण करवाना आवश्यक होगा ।

जिला कलेक्टर (भू.अ.)——————

कार्यालय जिला कलेक्टर (भू.अ.)——————

## साईबर कैफे से जमाबन्दी खातों की नकल जारी करने के लिए लाइसैन्स हेतु आवेदन-पत्र

1. आवेदक का नाम :–........................................................
2. पिता/पति का नाम :– ......................................................
3. स्थायी पता :–.......................................................... ...................... पिन .................
4. दूरभाष नम्बर :– ..............................(घर) ......................... मोबाईल नं. ...............

आवेदक का पासपार्ट साईज फोटो

5.योग्यता :– ...................................................................................

6. क्षेत्र का नाम जिस स्तर हेतु लाईसेंस लेना चाहता है :– ...................................................

| *क.सं.* | *स्तर* | *वार्षिक निर्धारित शुल्क रूपयों में* |
|---|---|---|
| 1. | जिला मुख्यालय/ अन्यत्र ग्राम/पटवार मण्डल/उप–तहसील/ तहसील ) क्षेत्र के बारे में स्पष्ट विवरण अंकित किया जावें । | 200/– |
| 2. | जिला/ तहसील का नाम जिसके लिए आवेदन किया है । | |

7. साईबर कैफे पर उपलब्ध हार्डवेयर का विवरण

| *क.सं.* | *हार्डवेयर* | *विवरण* ***(Specification)*** |
|---|---|---|
| 1. | कम्प्यूटर | |
| 2. | प्रिन्टर | |
| 3. | मोड्म/ लीज लाईन | |

8. आवेदक किस इन्टरनेट सेवा प्रदात्ता (ISP) का कनेक्शन उपयोग में ले रहा है :–

9. साईबर कैफे/ केन्द्र का पूर्ण पता ..............................................................................................

दिनांक

**9.** आवेदक अपनी एक अतिरिक्त फोटो भी संलग्न करें ।

*आवेदक के हस्ताक्षर*